प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-08 अप्रैल, 2020

विषय- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन किये जाने हेतु धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10382/बजट 2020-21, दिनांक-01.04.2020, के संदर्भ में एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के पक्ष में संलग्न विवरण के अनुसार कुल रू0-8,23,68,62,000/- (रूपये आठ अरब तेईस करोड अड़सठ लाख बासठ हजार मात्र) एवं रू0-10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) भारित अर्थात कुल रू0-8,23,78,62,000/- (रूपये आठ अरब तेईस करोड़ अठहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के आधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितृत धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मेनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समूचित कारण बताते हुये शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) मानक मद 43- सामग्री सम्पूर्ति में उपलब्ध बजट प्राविधान इस निर्देश के साथ आपके निवर्तन पर रखा जा रहा है कि कोई भी क्रय समय-समय पर वित्त विभाग तथा उधोग विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा किसी भी दशा में नियमों का किसी स्तर पर उल्लंघन न किया जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्यय सम्बन्धी स्थाई वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 जो आपको भी पृष्ठांकित है, में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनांक-14 मार्च, 2018 द्वारा राज्यकी संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियॉ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटैन्स लेखाशीर्षक '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक-03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

(8) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्षक, भारित और अनुदान संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

(9) बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार महानिरीक्षक कारागार इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के अन्तर्गत रखा जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा और इन मदों में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24.03.2020 में प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपरोक्त।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-**24/2020/330(1)/22-4-2020**-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-24/2020/330/22-4-2020-101(ब)/19टीसी, दिनांक-08 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

राजस्व लेखा- (धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक-2056-जेलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्य

01-वेतन	1237.80
03-मंहगाई भत्ता	309.45
04-यात्रा व्यय	5.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	2.50
07-मानदेय	0.01
08-कार्यालय व्यय	14.00
09- विद्युत देय	72.00
10-जलकर/जलप्रभार	8.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाआं के लिए भुगतान	2.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	9.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.20
23-गुप्त सेवा व्यय	1.00
29-अनुरक्षण	6.00
42-अन्य व्यय	0.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	400.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.50
49-चिकित्सा व्यय	25.00
51-वर्दी व्यय	0.75
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00
55-मकान किराया भत्ता	110.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	18.75
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.50
योग-	2297.46
भारित-	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक-2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार

01-वेतन	38452.50
02-मजदूरी	4200.00
03-मॅहगाई भत्ता	9613.13
04-यात्रा व्यय	12.60
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25.00
06-अन्य भत्ते	50.00
07-मानदेय	0.65
08-कार्यालय व्यय	8.25
09- विद्युत देय	5100.00
10-जलकर/जल प्रभार	40.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	16.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	100.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00
15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00
29-अनुरक्षण	400.00
39-औषधि तथा रसायन	1100.00
40-औषद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	56.00
41-भोजन व्यय	17500.00
42-अन्य व्यय	1200.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8.40
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00
49-चिकित्सा व्यय	250.00
51-वर्दी व्यय	15.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00
55-मकान किराया भत्ता	400.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	200.00
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	160.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00
योग-	79024.03

लेखाशीर्षक-2056-जेलें-102-जेल उत्पाद-03-समस्त कारागार

02-मजदूरी	35.00
15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	3.30
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00
42-अन्य व्यय	4.00
43-सामग्री एव सम्पूर्ति	600.00
योग-	642.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक-2056-जेलें-800-अन्य व्यय-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय

01-वेतन	251.10
02-मजदूरी	1.00
03-मॅहगाई भत्ता	62.78
04-यात्रा व्यय	0.30
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.25
06-अन्य भत्ते	3.00
08-कार्यालय व्यय	1.50
09-विद्युत देय	30.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.05
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.30
15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल क्रय	1.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3.00
26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	0.00
29-अनुरक्षण	15.00
42-अन्य व्यय	6.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40
49-चिकित्सा व्यय	3.00
51-वर्दी व्यय	0.15
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00
55-मकान किराया भत्ता	11.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00
योग-	404.83
कुल योग- मतदेय भारित	82368.62 10.00
महायोग-	82378.62
(रूपया आठ अरब तेईस करोड़ अठहत्तर लाख बासठ हजार मात्र)	

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in